(262)

दिनांक 4 सितम्बर 1989 को प्रातः 11.00 बजे कृषि विज्ञान केन्द्र, बीछवाल बीकानेर में आयोजित प्रबन्ध बोर्ड की बैठक का कार्यवृत :

निम्नांकित सदस्य उपस्थित थे:-

1. डा. के. एन. नाग — अध्यक्ष
2. श्री बी. डी. कल्ला
3. श्री हनुमान प्रसाद
4. डा. एस. एस. आचार्य
5. डा. के. पी. पन्त
6. डा. एन. एल. अग्रवाल
7. श्री सीताराम चौधरी
8. प्रो. शिवनाथ सिंह कपूर
9. श्री के. एम. मेहता
10. श्री राम गोपाल ~~[illegible]~~ चौधरी
11. श्री खुशहाल सिंह — सदस्य सचिव

आमंत्रित सदस्य

1. श्री बी. एस. उज्वल
2. श्री के. एस. माथुर
3. डा. जे. एस. भाटिया

श्री एम. एल. मेहता, डा. पी. डी. शर्मा, डा. आर. एस. परोदा, व निदेशक कृषि ने बैठक में भाग लेने में अपनी असमर्थता प्रकट की ।

बैठक के प्रारम्भ में कुलपति ने श्री बी. डी. कल्ला का बोर्ड में पुनः मनोनयन होने पर बैठक में प्रथम बार भाग लेने पर स्वागत किया। साथ ही डा. के. पी. पन्त, का बैठक में प्रथम बार भाग लेने पर स्वागत किया ।

राकृवि/प्रबो-13/89-6/160 — गत बैठक दिनांक 17.6.89 की बैठक के कार्यवृत की पुष्टि पर विचार किया गया।

निर्णय लिया गया कि कार्यवृत की पुष्टि निम्न टिप्पणी के साथ की जाय :-

अ) ~~श्री के. एम. मेहता द्वारा बताया गया कि~~ शैक्षणिक योजना के प्रारूप पर ~~इस बैठक में~~ विचार विमर्श विशेष इस बैठक में ~~होना था~~ होगा। कुलपति महोदय द्वारा बताया गया कि प्रारूप इस माह के अन्त तक तैयार हो जायेगा। ~~इस पर निर्णय लिया गया कि 30.9.89 के पश्चात~~ अगर पूर्व शैक्षणिक योजना का प्रारूप

30.9.89 तक
बोर्ड के सदस्यों को प्रेषित कर दिया जायेगा
कुलपति महोदय ने ~~द्वारा~~ हि० भी बताया गया कि इस
पर विचार विमर्श हेतु एक विशेष बैठक माह
नवम्बर के प्रथम सप्ताह में आयोजित की जायेगी।
सदस्यों का अनुरोध था कि इस बैठक में अधिक
से अधिक सदस्य भाग लें। इस हेतु समस्त सदस्यों की
सुविधा का ध्यान रखा जाय। कुलपति ने सभा
की सम्मति चाही कि उक्त बैठक में डा. एस. एस
खन्ना, सलाहकार योजना आयोग व आयुक्त
पशु पालन विभाग, भारत सरकार को भी
विशेष सदस्य के रूप में आमंत्रित किया जाय।
सभा ने अनुमोदन किया।

ब) मद संख्या 158 के अनुसार डा. बी. एस. यादव
की सेवायें कूयनक्यूनियल टीम के निरीक्षण अथवा
चार माह जो भी पहले हो बढ़ायी जाय। के
स्थान पर "कूयनक्यूनियल टीम के निरीक्षण व
पी. एल. 480 योजना के मूल्यांकन हेतु प्रतिवेदन
तैयार करने हेतु चार माह के लिये बढ़ायी जाय"
पढ़ा जाय।

राकृवि/प्रबो-13/89-6/161	दिनांक 17.6.89 की बैठक में लिये गये निर्णयों की क्रियान्विति पर विचार किया गया। निर्णय लिया गया कि निर्णयों की क्रियान्विति को आलोकित किया जाय।
राकृवि/प्रबो-13/89-6/162	विश्वविद्यालय द्वारा प्रसारित विभिन्न आदेशों का प्रतिवेदन प्राप्त हुआ। निर्णय लिया गया कि कुलपति द्वारा प्रसारित विभिन्न आदेशों को आलोकित किया जाय।
राकृवि/प्रबो-13/89-6/163	शोध सहायकों को मकान किराया भत्ता मूल वेतन रू. 1500 मान कर प्रदान किये जाने पर विचार किया गया। विचार विमर्श के पश्चात निर्णय लिया गया कि इस मामले पर वित्त समिति को परीक्षण कर निर्णय लेने हेतु प्रेषित किया जाय। नीति निर्धारण करते

समय वित्त समिती राज्य सरकार के नियमों को ध्यान में रखे। बोर्ड को निर्णय से सूचित किया जाय।

राकृवि/प्रबो-13/ 89-6/164

सेवा निवृति पर कर्मचारी को उपार्जित अवकाश का नकद भुगतान 180 दिनों के स्थान पर 240 दिन तक का प्रदान किया जाय पर विचार किया गया। श्री बी.डी.कल्ला का सुझाव था कि इस पर विचार करने के पूर्व राज्य के अन्य विश्वविद्यालयों से पूर्ण जानकारी शिक्षा विभाग से प्राप्त कर ली जाय तत्पश्चात इस मद पर विचार हेतु कुलपतियों की समन्वय समिती को यह मामला प्रेषित किया जाय। सभा ने इसका अनुमोदन किया।

राकृवि/प्रबो-13/ 89-6/165

बीज एवं उत्पादन मदो पर छूट स्वीकृत किये जाने हेतु अधिष्ठाता, राजस्थान कृषि महाविद्यालय उदयपुर के पत्र संख्या 2490 दिनांक 16.7.89 द्वारा प्राप्त प्रस्ताव पर विचार किया गया।

निर्णय लिया गया कि भारती बीज निगम के नियमों के अनुसार बीज के अपलेखन की कार्यवाही की जाय। सामान्य उत्पादनों पर प्रचलित नियमों के अनुसार कार्यवाही की जाय।

राकृवि/प्रबो-13/ 89-6/166

श्री ए.आर.आचार्य, सेवानिवृत लेखाधिकारी (आडिट) के पारीश्रमिक को 1500 रूपये से बढ़ाकर 2000 रूपये प्रति माह किये जाने पर विचार किया गया।

विस्तृत विचार विमर्श के पश्चात निर्णय लिया गया कि प्रस्ताव का अनुमोदन किया जाय पर सेवा अवधी अधिकतम आज से एक वर्ष की ही होगी।

राकृवि/प्रबो-13/ 89-6/167

एक कृषि विश्वविद्यालय से दूसरे कृषि विश्वविद्यालय में पदस्थापन होने पर कर्मचारी /वैज्ञानिकों को पेंशन सुविधा संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा पेंशन अंशदान प्रदान करने का प्रस्ताव श्री रूप राम, अधिशासी सचिव, भारतीय कृषि विश्वविद्यालय संघ के पत्र क्रमांक 7/89-आईएयूए दिनांक 27.7.89 पर विचार किया गया।

विस्तृत विचार विमर्श पश्चात यह मत प्रकट किया गया कि क्योंकि विश्वविद्यालय में अभी पेंशन अंशदान सुविधा की कोई प्रावधान नहीं है तथा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् भी इस पर विचार कर रही है । फिलहाल यह मद अनिर्णित रहा। इस संबंध में कुलपति महोदय द्वारा श्री एन. एल. मीणा का पत्र दिनांक 17.8.89 रखा जिसमें पेंशन अंशदान व लीव सेलेरी का अनुरोध किया गया है ताकि वह अपने चयनित पद का पद भार ग्रहण कर सकें। इस संबंध में उन्हें सूचित किया जाय कि विश्वविद्यालय में पेंशन अंशदान का कोई प्रावधान अभी नहीं है वह भविष्य निधि एवं लीव सेलेरी जमा करा सकेंगे। अथवा विश्वविद्यालय अवकाश वेतन भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् को जमा करा देगा।

रा.कृ.वि. प्रबो - 13
89-6/175

विस्तृत विचार विमर्श पश्चात इस संबंध में एक उप समिती की गठन किया गया जो अपना प्रतिवेदन बोर्ड के विचारार्थ प्रस्तुत करे । उप समिती के सदस्य निम्न प्रकार होंगे।

श्री हनुमान प्रसाद — अध्यक्ष
प्रा. शिवनाथ सिंह कपूर
डा. वी. एन. पाठक
डा. जे. एस. भाटिया
कुलसचिव

राकृवि/प्रबो-13/
89-6/169

डा. एन. एस. रन्धावा, महानिदेशक, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के पत्र क्रमांक 671 दिनांक 21.8.89 जिसमें कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा राज्यों के कृषि विश्वविद्यालयों में सहायक आचार्य व समकक्ष पदों हेतु लिखित लिखित परीक्षाएँ आयोजित कर चयन करने हेतु प्रस्ताव किया गया है पर विचार किया गया।

विस्तृत विचार विमर्श पश्चात निर्णय लिया गया कि प्रस्ताव को सिद्धान्त रूप से स्वीकृत किया जाय जिससे कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा प्रदत्त वेतनमान की आवश्यकताओं की पूर्ति सम्भव होगी। पर साथ ही यह

भी निर्णय लिया गया कि यह निर्णय राज्य के अन्य विश्वविद्यालयों में लागू होने के साथ ही इस विश्वविद्यालय में लागू करना सम्भव हो सकेगा और यह भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद को अवगत करा दिया जाय।

राकृवि/प्रबो-13/ 89-6/170

डा. जे. एस. भाटिया , परीक्षा नियंन्त्रक को अतिरिक्त सेवायें देने हेतु मानद पारीश्रमिक प्रदान करने पर विचार किया गया।

विस्तृत विचार विमर्श पश्चात निर्णय लिया गया कि डा. भाटिया को परीक्षा नियंत्रक का अतिरिक्त कार्य वहन करने हेतु 300/- रूपये प्रतिमाह मानद पारिश्रमिक भत्ता प्रदान किया जाय।

राकृवि/प्रबो-13/ 89-6/171

वित्त नियंत्रक, राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय द्वारा प्राप्त प्रस्ताव जिसमें कि भ सम्पति अधिकारी जो कि अधिशासी अभियन्ता, राज्य सरकार द्वारा पदस्थापित किये जाते हैं के स्थान पर विश्वविद्यालय में कार्य के महत्व को देखते हुए अधिक्षण अभियन्ता के पदस्थापन (पद को क्रमोन्नत) किये जाने का प्रस्ताव प्राप्त हुआ। विचार विमर्श पश्चात निर्णय लिया गया कि विश्वविद्यालय में कार्य के महत्व व अधिकता को ध्यान में रखते हुए अधिशासी अभियन्ता के स्थान पर अधिक्षण अभियन्ता को पदस्थापित किया जाय। अतः अधिशासी अभियन्ता के पद को क्रमोन्नत कर भू सम्पति अधिकारी के पद को क्रमोन्नत किया जाय।

राकृवि/प्रबो-13/ 89-6/172

कुलपतिजी ने सदस्यों का ध्यान इस बात की ओर भी दिलाया कि स्नातक (कृषि / गृह विज्ञान) स्तर तक के कार्यक्रमों में 10 प्लस 2 प्लस 4 की जो योजना कुलपति समन्वय समिति द्वारा अनुशंसित की गई थी की क्रियान्विति राज्य के अन्य विश्वविद्यालयों में नहीं की जा रही है। ऐसी स्थिति में विद्यार्थियों की संख्या घटती जा रही है।

सभा द्वारा तय किया गया कि इस संबंध में कुलपतियों की

समन्वय समिति में इस मामले को रखा जाय ।

राकृवि/प्रबो-13/89-6/173 कुलपति ने सदस्यों को अवगत कराया कि इस वर्ष राज्य सरकार द्वारा कृषि महाविद्यालय (कार्यक्रम) तथा गृह विज्ञान कार्यक्रम चलाने हेतु आंशिक स्वीकृत राशि रूपये 21 लाख लाख कृषि एवं रूपये 10 लाख गृह विज्ञान हेतु प्रदान की गई है।

राकृवि/प्रबो-13/89-6/175 श्री बुलाकी दास कल्ला द्वारा विश्वविद्यालय ~~के तीनों~~ स्वीकरण हेतु निदेशालयों को बीकानेर मुख्यालय पर स्थानान्तरित करने पर बल दिया ।

विस्तृत विचार विमर्श पश्चात निर्णय लिया गया कि तीनों निदेशालयों को बीकानेर मुख्यालय में स्थानान्तरित किया जाय । इसकी क्रियान्विति कुलपति महोदय सुविधानुसार करें।

बैठक के अन्त में कुलपति जी ने प्रबन्ध बोर्ड केक निम्न सदस्यों जिनके मनोनयन की अवधि समाप्त हो रही है के योगदान की सराहना की और सेवाओं को अंकित किया जाय।

डा. पी. एन. मेहरोत्रा
डा. आर. सी. मेहता
डा. एन. एल. अग्रवाल
श्री सीतारा चौधरी

बैठक समाप्ति की घोषणा के पूर्व कुलपति महोदय ने बोर्ड केक सदस्यों को बीकानेर में 14.11.89 को आयोजित नेहरू जन्म शताब्दी समारोह के उपलक्ष में सेमीनार में आमंत्रित किया।

अध्यक्ष के प्रति धन्यवाद प्रस्ताव के साथ बैठक समाप्ति की घोषणा की गई।

(के. एन. नाग)
अध्यक्ष

(खुशहाल सिंह)
सदस्य सचिव